कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01 / यो0बजट–19 / 2019– 879 दिनांक : 6/09/2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची / राँची वन प्रमण्डल, राँची / जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर / गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा / वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची / सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पार्कों के रख–रखाव हेतु कुल **रू0 392.954 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख पनचानवे हजार चार सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0–32 / 2019–34 / स्वी0 व0प0 दिनांक 05.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट–32 / 2019–83 / आ0 व0प0 दिनांक 05.09.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष–59 अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 392.954 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख पनचानवे हजार चार सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590103	235.008
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102590323	157.946
कुल :–		**392.954**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601102590103 तथा 19S240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वियनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि का स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य

वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–**01/यो0बजट–19/2019**–879 दिनांक–6/09/2019

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ दुमका/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–**01/यो0बजट–19/2019**–879 दिनांक–6/09/2019

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर/गोड्डा/सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित कि जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों एवं सड़क किनारे रख–रखाव कार्य का प्रमंडलवार उप आवंटित भैतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य			
			प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii		iii	iv	v	vi
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	1	राजभवन उद्यान, राँची का रख–रखाव	31.951	6.744	25.207	31.951
	2	नेपाल हाउस एवं योजना भवन, राँची का रख–रखाव	24.713	11.408	13.305	24.713
	3	प्रोजेक्ट भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख–रखाव	23.269	10.220	13.049	23.269
	4	एम0डी0आई0 भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख–रखाव	13.151	5.863	7.288	13.151
	5	एफ0एफ0पी0 भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख–रखाव	10.968	7.174	3.794	10.968
	6	टी0ए0 डिवीजन भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख–रखाव	8.622	4.560	4.062	8.622
	7	ईंजीनियर्स हॉस्टल भवन उद्यान परिसर, धुर्वा, राँची का रख–रखाव	12.206	6.078	6.128	12.206
		योग :–	**124.880**	**52.047**	**72.833**	**124.880**
राँची वन प्रमण्डल, राँची	1	मूरी–टूंगरी पार्क, सिल्ली का रख–रखाव	25.440	15.036	10.404	25.440
	2	जैव विविधता पार्क, राँची का रख–रखाव	42.000	33.000	9.000	42.000
	3	दीन–दयाल पार्क, मोरहाबादी का रख–रखाव	14.905	7.937	6.968	14.905
	4	अम्बेदकर पार्क, सिल्ली का रख–रखाव	11.891	7.352	4.539	11.891
	5	हाईकोर्ट कॉलोनी, डोरण्डा, राँची के सड़क किनारे का रख–रखाव	5.243	4.743	0.500	5.243
	6	राजभवन से लेकर करमटोली चौक तक सड़क किनारे का रख–रखाव	5.243	4.743	0.500	5.243
	7	स्टेट गेस्ट हाउस से सी0बी0आई0 होते हुए रांची कॉलेज तक सड़क किनारे का रख–रखाव	5.243	4.743	0.500	5.243
	8	मुख्यमंत्री आवास से रांची कॉलेज तक का सड़क किनारे का रख–रखाव	5.243	4.743	0.500	5.243
	9	ऑडियो विजुअल सेन्टर का रख–रखाव	15.729	8.113	7.616	15.729
	10	निलगिरी हिल्स, सिल्ली का रख–रखाव	9.058	6.006	3.052	9.058
	11	ऑक्सीजन पार्क, मोरहाबादी का रख–रखाव	40.371	24.604	15.767	40.371
		योग :–	**180.366**	**121.020**	**59.346**	**180.366**
जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	1	घोड़ाबंधा पार्क, जमशेदपुर का रख–रखाव	13.000	9.800	3.200	13.000
	2	पारडीह–1 नेचर पार्क का रख–रखाव	6.305	5.000	1.305	6.305
	3	पारडीह–2 नेचर पार्क का रख–रखाव	6.305	5.000	1.305	6.305

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य			
			प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii		iii	iv	v	vi
	4	पृथ्वी पर्यावरण पार्क, मानगो का रख–रखाव	6.305	5.000	1.305	6.305
	5	छोटा गोविन्दपुर पार्क का रख–रखाव	6.305	5.000	1.305	6.305
	6	खडंगाझार पार्क का रख–रखाव	6.935	5.548	1.387	6.935
योग :–			**45.155**	**35.348**	**9.807**	**45.155**
गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	1	जैव विविधता पार्क, गोड्डा का रख–रखाव	23.160	14.000	9.160	23.160
योग :–			**23.160**	**14.000**	**9.160**	**23.160**
वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	1	वन भवन कैम्पस, डोरण्डा का रख–रखाव	8.000	5.000	3.000	8.000
योग :–			**8.000**	**5.000**	**3.000**	**8.000**
सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	1	जय प्रकाश उद्यान, सिमडेगा का रख–रखाव	11.393	7.593	3.800	11.393
योग :–			**11.393**	**7.593**	**3.800**	**11.393**
सकल योग :–			**392.954**	**235.008**	**157.946**	**392.954**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-19/2019/879

दिनांक - 06-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 2406011025 90103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57202	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	5,204,700.00 रुपये बावन लाख चार हजार सात सौ
2	S 19 2406011025 90103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57205	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	12,102,000.00 रुपये एक करोड इक्कीस लाख दो हजार
3	S 19 2406011025 90103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57211	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	3,534,800.00 रुपये पैतीस लाख चौतीस हजार आठ सौ

योग: 20,841,500.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड आठ लाख इकतालीस हजार पॉच सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

164.100.151.248

Run Date: 6/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-19/2019/879 दिनांक - 06-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57213	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	1,400,000.00 रुपये चौदह लाख
5	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57214	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	500,000.00 रुपये पाँच लाख
6	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57218	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	759,300.00 रुपये सात लाख उनसठ हजार तीन सौ

योग: 2,659,300.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड पैतीस लाख आठ सौ 23,500,800.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.248 Run Date: 6/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-19/2019/879 दिनांक - 06-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 2406011025 90323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57226	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	7,283,300.00 रुपये बहत्तर लाख तिरयासी हजार तीन सौ
8	S 19 2406011025 90323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57227	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	5,934,600.00 रुपये उनसठ लाख चौतीस हजार छः सौ
9	S 19 2406011025 90323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57228	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	980,700.00 रुपये नौ लाख अस्सी हजार सात सौ

योग: 14,198,600.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड छहत्तर लाख निन्नानवे हजार चार सौ 37,699,400.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF:DEV.JHARKHAND RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-19/2019/879 दिनांक - 06-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 2406011025 90323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57231	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	916,000.00 रुपये नौ लाख सोलह हजार
11	S 19 2406011025 90323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57232	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	300,000.00 रुपये तीन लाख
12	S 19 2406011025 90323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	57233	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	380,000.00 रुपये तीन लाख अस्सी हजार

योग: 1,596,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड बयानवे लाख पिनचानवे हजार चार सौ 39,295,400.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 164.100.151.248 Run Date: 6/9/2019